

THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

No. 741

13 Aashwin, 1938 (S)

PUBLISHED BY AUTHORITY

Ranchi, Thursday, 5th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION 4th October, 2017

S.O. No. 84- Dated- 5th October, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the casual taxable persons making taxable supplies of handicraft goods as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed an amount of twenty lakh rupees in a financial year:

Provided further that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed an amount of ten lakh rupees in case of Special Category States, other than the State of Jammu and Kashmir.

- 2. The casual taxable persons mentioned in the preceding paragraph shall obtain a Permanent Account Number and generate an e-way bill in accordance with the provisions of rule 138 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017.
- 3. The above exemption shall be available to such persons who are making inter-State taxable supplies of handicraft goods and are availing the benefit of notification

No. 8/2017 – Integrated Tax dated the 14th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. (E), 1156 dated the 14th September, 2017.

Explanation - For the purposes of this notification, the expression "handicraft goods" means the products mentioned in column (2) of the Table below and the Harmonized System of Nomenclature (HSN) code mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process:-

Table

Sl	Products	HSN Code
No.		
(1)	(2)	(3)
1.	Leather articles (including bags, purses, saddlery,	4201, 4202, 4203
	harness, garments)	
2.	Carved wood products (including boxes, inlay	4415, 4416
	work, cases, casks)	
3.	Carved wood products (including table and	4419
	kitchenware)	
4.	Carved wood products	4420
5.	Wood turning and lacquer ware	4421
6.	Bamboo products [decorative and utility items]	46
7.	Grass, leaf and reed and fibre products, mats,	4601, 4602
	pouches, wallets	
8.	Paper mache articles	4823
9.	Textile (handloom products)	including 50, 58, 62, 63
10.	Textiles hand printing	50, 52, 54
11.	Zari thread	5605
12.	Carpet, rugs and durries	57
13.	Textiles hand embroidery	58
14.	Theatre costumes	61, 62, 63
	Coir products (including mats, mattresses)	5705, 9404
16.	Leather footwear	6403, 6405
17.	Carved stone products (including statues, statuettes,	6802
	figures of animals, writing sets, ashtray, candle	
	stand)	
18.	Stones inlay work	68
19.	Pottery and clay products, including terracotta	6901, 6909, 6911, 6912,
		6913, 6914

20.	Metal table and kitchen ware (copper, brass ware)	7418
21.	Metal statues, images/statues vases, urns and	8306
	crosses of the type used for decoration of metals of	
	chapters 73 and 74	
22.	Metal bidriware	8306
23.	Musical instruments	92
24.	Horn and bone products	96
25.	Conch shell crafts	96
26.	Bamboo furniture, cane/Rattan furniture	
27.	Dolls and toys	9503
28.	Folk paintings, madhubani, patchitra, Rajasthani	97
	miniature	

4. This notification shall be deemed to be effective from 15th September, 2017.

 $[File.No\ Va\ Kar\ /\ GST\ /\ 04/\ 2017]$ By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 4 अक्टूबर, 2017

एस॰ ओ॰ 84 - दिनांक 5 अक्टूबर, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हस्तशिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है:

परंतु ऐसे मालों का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपए की रकम से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि ऐसे माल का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न विशेष प्रवर्ग राज्यों के मामले में दस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है।

- 2. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और झारखण्ड माल तथा सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे।
- 3. उपरोक्त छूट ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो हस्तशिल्प माल के अंतरराज्यीय कराधेय प्रदाय कर रहे हैं और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 8 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1156, तारीख 14 सितम्बर, 2017 का फायदा ले रहे हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नाम पद्धित प्रणाली (एचएसएन) संहिता, जब इनका मशीनीकृत उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रयोग न करते हुए, सम्पूर्ण देश में शिल्पकारों द्वारा विनिर्माण किया जाता है, अभिप्रेत है ।

सारणी

क्र. ·	उत्पाद	एचएसएन कोड
सं.		
(1)	(2)	(3)
1	चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी,	4201, 4202, 4203
	साज, वस्त्र भी हैं)	
2	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गसन्दूक, जड़ाऊ	4415, 4416
	कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं)	
3	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और	4419
	रसोई बर्तन भी हैं)	
4	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421
6	बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएं)	46
7	तृण, पत्तियां और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई,	4601, 4602
	थैलियां, पेटियां	
8	कागज मेश की वस्तुएं	4823
9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद)	जिनके अंतर्गत 50,
		58, 62, 63 新
10	टैक्सटाइल हस्तमुद्रण	50, 52, 54
11	जरी धागा	5605
12	कालीन, रग और दरी	57
13	टैक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी	58
14	थिएटर पोशाक	61, 62, 63
15	कयर उत्पाद (जिनके अंतर्गत चटाइयां, गद्दे भी हैं)	5705, 9404
16	चमड़े का जूता	6403, 6405
17	उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अंतर्गत प्रतिमा, लघु	6802
	प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे,	
	मोमबत्ती दान भी हैं)	
18	प्रस्तर जड़ाऊ कार्य	68
19	मिट्टी के बर्तन तथा मृत्तिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत	6901, 6909,
	टैराकोटा भी है	6911, 6912,
		6913, 6914
20	धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन)	7418

21	अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के	8306
	लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियां,	
	प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस	
22	धातु बिदरीवेयर	8306
23	संगीत वाद्य यंत्र	92
24	सींग और अस्थि उत्पाद	96
25	शंख सीपी शिल्प वस्तुएं	96
26	फर्नीचर, बांस, केन/बेंत के फर्नीचर	
27	गुड़िया और खिलौने	9503
28	लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र	97
	आदि	

4. यह अधिसूचना 15 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से

> के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त
